

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/सा०चि०पदा०-215/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० अभिनव चन्द्र, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवकुण्ड, गोह, औरंगाबाद सम्प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोह औरंगाबाद के द्वारा दिनांक-06.06.2023 से 21.06.2023 तक कुल-16 (सोलह) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एव वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1645(25), दिनांक-04.09.2023 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

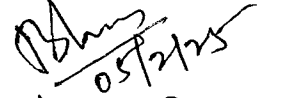
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-215/2024- 205(2) पटना, दिनांक 10/02/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवकुण्ड, गोह, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/ डा० अभिनव चन्द्र, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवकुण्ड, गोह, औरंगाबाद सम्प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोह औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।